



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 23.09.2022

नाबालिग लडकी से छेडछाड व मारपीट करने वाला आरोपी सन्दीप को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास व 6500/ रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त- सन्दीप पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2015 में नाबालिग लडकी से छेडछाड व मारपीट करने की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0-207/2015 धारा 354(क)/323/504 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.09.2022 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सन्दीप को दोषी पाते हुए धारा 8 पोक्सो एक्ट भादवि में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास व 500/ रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- सन्दीप पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 23.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 943/21 धारा 279//337/338 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 943/21 धारा 279//337/338 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-गौरव पुत्र जयभगवान ग्राम सरूरपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 179 सचिन थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 23-09-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-कंवरपाल पुत्र अभीलाल निवासी ग्राम अहमदपुर गठीना थाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सुरेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का० 421 अंकुल थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का० 160 रिकू कुमार थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 23.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 326/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 326/22 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में प्रकाश में आये वांछित एक अभियुक्त आस मौहम्मद को गिरफ्तार किया गया है।



उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में नामजद एक अभियुक्त नौशाद को थाना सिंघावली अहीर द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- आस मौहम्मद पुत्र यामीन निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार।

2-का0 44 संजीव कुमार।